राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 81 / 2022 जीसीएमएस नं.– 2022 / 168

1. अणची देवी पत्नी नानुराम जाति माली निवासी सिंघाना तह0 बुहान जिला झुंझनूं राज0
2. कुरडाराम पुत्र सोहन
3. किशोरी लाल पुत्र नानुराम
4. जुगलाल पुत्र सोहन
5. झण्डुराम पुत्र नानुराम
6. नथमल पुत्र लीलाराम
7. पप्पूलाल पुत्र नानुराम
8. फुलाराम पुत्र सोहन
9. बनवारी पुत्र सोहन
10. बनारसी पत्नी लीलाराम
11. मन्जू पुत्री लीलाराम
12. मीनु पुत्री लीलाराम
13. रामदयाल पुत्र लीलाराम
14. रोहिताश्व पुत्र नानुराम
15. सन्तोष पुत्री लीलाराम
16. सुरेश पुत्र नानुराम समस्त जाति माली निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

......वादीगण

बनाम

1. बनारसी
2. केसर
3. सन्तरा
4. भेज्जी पुत्रीयान ईश्वर
5. सज्जन
6. सुमेर
7. रतिराम पुत्रान ईश्वर
8. किताबों देवी पत्नी जोरूराम जाति गुर्जर
9. कौशल्या देवी पत्नी राजु जाति गुर्जर निवासी [illegible] जिला महेन्द्रगढ हरि0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

10. भतेरी देवी पत्नी बाबुलाल जाति गुर्जर निवासी खरौली जिला महेन्द्रगढ हरि0
11. मनोहरी देवी पत्नी गोदराम
12. श्रवण देवी पत्नी दलीप सिंह
13. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (भारतीय स्टेट बैंक) शाखा सिंघाना
14. आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा सिंघाना
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

......प्रतिवादीगण

दावा रिकार्ड दुरूस्ती

–::निर्णय::–

दिनांक :– 29/9/22

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से पेश है–

1. यह कि वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 तक के खाता न0 138 ख0 न0 290 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा के खातेदार सुरज पुत्र पोकर हिस्सा 1/2 सोहन पुत्र लेखु हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी में दर्ज थी।
2. यह कि गत ख0 न0 290 के हाल ख0न0 197 रकबा 0.90है0 ख0 न0 198 रकबा 0.98है0 ख न0 200 रकबा 1.73है0 व वादीगण का हाल ख0 न0 200 पर कब्जा कास्त है व ख0 न0 200 पर ही वादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है व अपने–अपने हिस्से पर काबिज कास्त है इसी प्रकार प्रतिवादीगण भी ख0 न0 197,198 पर कब्जा कास्त है व बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर कब्जा कास्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादीगण की खातेदारी ख0न0 197,198 में दर्ज है व प्रतिवादीगण की खातेदारी ख0 न0 200 में दर्ज है।
3. यह कि वादीगण उक्त ख0 न0 200 पर करबि 60 से 70 वर्ष से काबिज है इसी प्रकार प्रतिवादीगण ख0 न0 197,198 पर काबिज है।
4. यह किप्रति0 स0 1 व 11 के द्वारा ख0 न0 रकबा 1.73है0 में ईश्वर पुत्र देवकरण द्वारा हिस्सा 33/173 पर व प्रति0 स0 के द्वारा 1/2 भाग पर ऋण ले रखा है जिसको ख0 न0 197,198 में प्रतिवादीगण के हिस्से के अनुसार दर्ज कर दिया जावे।
5. यह कि दावे का आधार विवाद गत सप्ताह वादीगण अपने हिस्से पर ऋण लेने के लिए राजस्व कर्मचारीयों से मिल व अपने हिस्से की नकल ली तो उन्हे पता चला कि जिस हिस्से पर वादीगण काबिज है उस हिस्से पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसिलए वादीगण के लिए दावा रिकार्ड दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है।
6. यह कि प्रति0 स0 7 व 8 ऋणधारक होने सेव प्रति0 स0 9 भूमिधारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।
7. यह कि वाके ग्राम भोदन तह0 बुहाना में स्थित होने के कारण उक्त वाद की सुनवाइ का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है।
8. यह कि वाद पत्र के साथ वादी का शपथपत्र पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि:–

(क) कि वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि खाता स0 32 के ख0 न0 197 रकबा 0.90है0 ख0 न0 198 रकबा 0.98है0 में वादीगण का नाम इन्द्राज है में प्रति0 स0 1 ल0 12 को खातेदार

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

घोषित किया जावे व ख0 न0 200 रकबा 1.73 है0 में प्रति स0 1 ल0 11 का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदारी घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी (पक्षकार) जोरूराम, प्रेमचन्द न्यायालय में उपस्थित होकर ने स्वयं उपस्थित होकर वाद ने वाद वर्णित भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा चाही है जिसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर वादी का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है जिसकी बाबत किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपरिथत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी में PW-1 जुगलाल, PW-2 अचणी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रदर्श 1 लगायत 8 अपने दावे के समर्थन दस्तावेजात पेश किये गये।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट भी ली गई। ।

तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट रही की – ग्राम भोदन स्थित भूमि अराजी ख.न. 200, 197, 198 मय रिकार्ड पहुंचे। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 11 के पुत्र उपस्थित मिले। मौके पर उक्त ख. नम्बरों का राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति की जांच की गई जो निम्नानुसार है।

1. यह है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम भोदन संवत 2075–78 के खाता सं. 30 के ख.न. 200 रकबा 1.73 है0 पर बनारसी, केसर, सन्तरा, भज्जी पुत्रियां ईश्वर, सज्जन, सुमेर, रतिराम पुत्र सज्जन हि.ब. 46/346 जाति जाट सा0 ढाणा किताब देवी पत्नि जोरूराम हि 33/173 जाति गुर्जर सा0 देह
कोशल्या देवी पत्नि राजू हि. 11/173 जाति गुर्जर सा. खरौली तह. व जिला महेन्द्रगढ़
भतेरी देवी पत्नि बाबूलाल हि. 11/173 जाति गुर्जर सा. खरौली तह. व जिला महेन्द्रगढ़
श्रवण देवी पत्नि दलिप सिंह हि. 11/173 जाति गुर्जर सा. खरौली तह. व जिला महेन्द्रगढ़
मनोहरी देवी पत्नि गोदाराम हि. 1/2 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज है।
2. इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2075–78 के खाता सं. 32 के ख.न. 197/0.90, 198/0.98 किता 2 रकबा 1.88 है0 पर अणची देवी पत्नि नानूराम , बाबूलाला, झुझूराम, रोहिताश्व, किशोरीलाल, सुरेश पुत्रान नानूराम हि.ब. 1/6 बनारसी पत्नि लीलाराम, नथमल, रामदयाल पुत्र लालाराम, मंजू, संतोष, मीनू पुत्रिया लालीराम हि.ब. 1/6
कुरड़ाराम, फूलाराम, जुगलाल, बनवारी पुत्र सोहन हि.ब. 4/6 जाति माली सा. सिंघाना(ढाणा) खातेदार दर्ज है।
3. परन्तु मौके पर ख. न. 200 रकबा 1.73 है0 पर अणची देवी पत्नि नानूराम, पप्पूलाल, झण्डुराम, रोहिताश्व, किशोरीलाल, सुरेश पुत्रान नानूराम मंजू, संतोष, मिनू पुत्रियां लीलाराम हि.ब. 16 कुरड़ाराम फूलाराम जुगलाल, बनवारी पुत्रान सोहन हि.ब. 4/6 संयुक्त रूप से कई कही भी वर्षो काबिज कास्त करते आ रहे है।
4. इसी प्रकार मौके पर ख.न. 197/0.90, 198/0.98 किता 2 रकबा 1.88 पर बनारसी, केसार, संतरा पुत्रिया ईश्वर सज्जन, सुमेर ,रतिराम, पुत्र सज्जन हि.ब. 23/188 जाति जाट सा. ढाणा किताब देवी पत्नि जारूराम हि. 35/188 जाति गुर्जर सा. देह, भतेरी देवी पत्नि बाबूलाल हि. 12/188 जाति गुर्जर सा. खरौली तह. व जिला महेन्द्रगढ़
श्रवण देवी पत्नि दलिपसिंह हि. 12/188 जाति गुर्जर सा. खरौली तह. व जिला महेन्द्रगढ़
मनोहरी देवी पत्नि गोदाराम हि. 1/2 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार कई वर्षो से अपने–अपने खेत पर शान्तिपूर्वक काबिज कास्त करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 18:24:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. मौके पर वादीगण एंवप्रतिवादीसं. 11 के पुत्र ने बताया किहम लोग कई वर्षों से अपने–अपने खेत पर शान्तिपूर्ण काबिज काश्त करते आ रहे है। एवं मौका निरीक्षण उपरान्त यह जाहिर होता है कि बिन्दु सं. 3 व बिन्दु सं 4 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने खेत ख.न. पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त कर रहे है।
6. अतः वर्तमान रिकार्ड में बिन्दु सं. 3 व बिन्दु सं. 4 के मुताबिक दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः मौका जांच रिर्पोट अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान को प्रषित है।

बहस विद्वान अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अत : न्यायालय वाद पत्र में वर्णित, तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। संदेह से परे साबित होना पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम भोदन तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता स0 32 के हाल ख0 न0 197 रकबा 0.90 है0 ख0 न0 198 रकबा 0.98 है0 में वादीगण का नाम हजफ कर प्रति0 स0 1 ल0 12 को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। (2) वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि खाता संख्या 30 के ख0 न0 200 रकबा 1.73 है0 में प्रति स0 1 ल0 12 का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदारी घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान) उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान) उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:24 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी — सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर — 81 / 2022 जीसीएमएस नं.— 2022 / 168

अचणी देवी आदि बनाम बनारसी आदि

वादीगण की ओर से **श्री विकास शर्मा एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 29/9/22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वाके ग्राम भोदन तहसील बुहाना स्थित भूमि खाता स0 32 के हाल ख0 न0 197 रकबा 0.90 है0 ख0 न0 198 रकबा 0.98 है0 में वादीगण का नाम हजफ कर प्रति0 स0 1 ल0 12 को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। (2) वाके ग्राम भोदन स्थित भूमि खाता संख्या 30 के ख0 न0 200 रकबा 1.73 है0 में प्रति स0 1 ल0 12 का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदारी घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:24 IST
Reason: SelfAttested